धारा-87. सहकारी कृषि समिति के लिये रियायतें और सुविधायें.- इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों को सामान्य रूप से मिलने वाली अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सहकारी कृषि समितियों ऐसी अन्य रियायतें, सुविधायें तथा पूर्वतायें पाने का हकदार होंगी, जो नियत की जायें और इनके अन्तर्गत अन्य रियायतों, सुविधाओं तथा पूर्वताओं के साथ-साथ निम्नलिखित हो सकती है -

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) सिंचाई कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाये कर तथा कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल आयल, पेट्रोल तथा मोबिल के क्रय पर बिक्री-कर में कमी,

(ग) तकावी देने में पूर्वत,

(घ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्वता,

(ड़) सिंचाई के लिये जल सम्भरण और बीज, खाद, उर्वरक तथा कृषि उत्पादन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्भरण करने में पूर्वता,

(च) कृषि उपज के क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) में पूर्वता,